

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- 2604 / 11-सी-FP/UP/Water/155091/2022, लखनऊ, दिनांक: मार्च 11, 2025

सेवा में,

उप वन महानिदेशक(केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र),
केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।

विषय:- जनपद-ललितपुर में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत जाखलौन-बिरधा, धौरा, बालाबेहट, कड़ेसरा कला और मउ ग्राम समूह पेयजल योजना में पेय जल पाइप लाइन बिछाये जाने हेतु प्रभावित 2.024059 हे० संरक्षित वनभूमि एवं 6.137750 हे० आरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल 8.161809 हे० वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 878 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

संदर्भ:- भारत सरकार का पत्रांक-8बी/यू०पी०/०८/७५/२०२३/एफ०सी०/३४४, दिनांक 13.09.2023, वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी का पत्रांक-2159/33-1, दिनांक 07.03.2025 एवं पत्रांक-1726/33-1, दिनांक 21.01.2025

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में निहित शर्तों की अनुपालन आख्या वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी के उपरोक्त पत्रांक-2159/33-1, दिनांक 07.03.2025 एवं पत्रांक-1726/33-1, दिनांक 21.01.2025 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है तथा प्रकरण में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दण्डात्मक एन०पी०वी०, एन०पी०वी० एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एड-हॉक कैम्पा में ऑनलाइन e-payment portal के माध्यम से ई-चालान द्वारा जमा किया गया है।

अतः उक्त पत्रों की छायाप्रति सहित बिन्दुवार अनुपालन आख्या ऑनलाइन "परिवेश" पोर्टल पर अपलोड कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया विषयगत प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत करने की कृपा करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(ललित कुमार वर्मा)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- 2604 / 11-सी-FP/UP/Water/155091/2022, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी।
2. प्रभागीय निदेशक, सा०वा० वन प्रभाग, ललितपुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), ललितपुर।

(ललित कुमार वर्मा)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।